

कार्यालय कलेक्टर, जिला खरगोन एवं समुचित सरकार, म.प्र.शासन, राजस्व विभाग

// प्रारंभिक अधिसूचना //

[भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013

(कमांक-30 सन् 2013) की धारा 11(1) के अन्तर्गत]

कमांक / 109 / भू-अर्जन / 2017

खरगोन, दिनांक 14/03/2017

चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची (1) के खाने 1 से 4 में दर्शित भूमि की, अनुसूची के खाने 6 में उसके सम्मुख दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार अनुसूची (2) में दर्शित भूमि के व्यौरों से संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची(1) के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा-12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है।

प्रस्तावित "सनावद-खण्डवा के मध्य आमाम परिवर्तन कार्य हेतु" परियोजना की प्रकृति लोकहित के अन्तर्गत सार्वजनिक प्रयोजन की होने से अधिनियम के अध्याय-2(अ) की धारा-4 - सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन एवं अन्य उपबन्धों से छुट प्रदान की गयी है। जिसका प्रकाशन पृथक से किया गया है। इस कारण धारा-11(3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट के प्रकाशन की आवश्यकता नहीं है।

-: अनुसूची (1) :-

जिला	तहसील	ग्राम/ नगर	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल (हे.में)	धारा-12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
खरगोन.	सनावद	भौमवाड़ा	0.189	उप-मुख्य इंजीनियर (निर्माण) पश्चिम रेल्वे इंदौर	"सनावद-खण्डवा के मध्य आमाम परिवर्तन कार्य हेतु"

-: अनुसूची (2) :-


"सनावद-खण्डवा के मध्य आमाम परिवर्तन कार्य " के अन्तर्गत. ग्राम- भौमवाड़ा की प्रभावित निजी भूमि का विवरण

सर्वे नंबर	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल (हे.में)
1	2
343, 345, 348, 349 / 1 व 350 / 1	0.189
योग:-05	0.189

नोट:-

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी बडवाह एवं उप-मुख्य इंजीनियर (निर्माण) पश्चिम रेल्वे इंदौर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


(अशोक कुमार वर्मा)

कलेक्टर एवं समुचित सरकार,
म.प्र. शासन, राजस्व विभाग
जिला खरगोन (म.प्र.)

कार्यालय कलेक्टर, जिला खरगोन एवं समुचित सरकार, म.प्र.शासन, राजस्व विभाग

// प्रारंभिक अधिसूचना //

[भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013

(कमांक- 30 सन् 2013) की धारा 11(1) के अन्तर्गत]

कमांक / 110 / भू-अर्जन / 2017

खरगोन, दिनांक 19/03/2017

चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची (1) के खाने 1 से 4 में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने 6 में उसके सम्मुख दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार अनुसूची (2) में दर्शित भूमि के व्यौरों से संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची(1) के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा-12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है।

प्रस्तावित "सनावद खण्डवा के मध्य आमान परिवर्तन कार्य हेतु" परियोजना की प्रकृति लोकहित के अन्तर्गत सार्वजनिक प्रयोजन की होने से अधिनियम के अध्याय-2(अ) की धारा-4 -- सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन एवं अन्य उपबन्धों से छुट प्रदान की गयी है। जिसका प्रकाशन पृथक से किया गया है। इस कारण धारा-11(3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट के प्रकाशन की आवश्यकता नहीं है।

—: अनुसूची (1) :-

जिला	तहसील	ग्राम/ नगर	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल (हे.में)	धारा-12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
खरगोन.	सनावद	बांगरदा	0.383	उप-मुख्य इंजीनियर (निर्माण) पश्चिम रेल्वे इंदौर	"सनावद-खण्डवा के मध्य आमान परिवर्तन कार्य हेतु"

—: अनुसूची (2) :-

"सनावद-खण्डवा के मध्य आमान परिवर्तन कार्य " के अन्तर्गत. ग्राम- बांगरदा की प्रभावित निजी भूमि का विवरण


सर्वे नंबर	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल (हे.में)
1	2
149 / 1, 150 / 1, 150 / 2, 151 / 4, एवं 158	0.383
योग:-05	0.383

नोट:-

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी बडवाह एवं उप-मुख्य इंजीनियर (निर्माण) पश्चिम रेल्वे इंदौर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से

तथा आदेशानुसार


(अशोक कुमार वर्मा)

कलेक्टर एवं समुचित सरकार,

म.प्र. शासन, राजस्व विभाग

जिला खरगोन (म.प्र.)

कार्यालय कलेक्टर, जिला खरगोन एवं समुचित सरकार, म.प्र.शासन, राजस्व विभाग

// प्रारंभिक अधिसूचना //

(भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013)

(कमांक-30 सन् 2013) की धारा 11(1) के अन्तर्गत)

कमांक/111)

/भू-अर्जन/2017

खरगोन, दिनांक 14/03/2017

चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची (1) के खाने 1 से 4 में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने 6 में उसके सम्मुख दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार अनुसूची (2) में दर्शित भूमि के ब्यौरों से संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची(1) के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा-12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है।

प्रस्तावित "सनावद-खण्डवा के मध्य आमामान परिवर्तन कार्य हेतु" परियोजना की प्रकृति लोकहित के अन्तर्गत सार्वजनिक प्रयोजन की होने से अधिनियम के अध्याय-2(अ) की धारा-4 - सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन एवं अन्य उपबन्धों से छुट प्रदान की गयी है। जिसका प्रकाशन पृथक से किया गया है। इस कारण धारा-11(3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट के प्रकाशन की आवश्यकता नहीं है।

—: अनुसूची (1) :-

जिला	तहसील	ग्राम/ नगर	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल (हे.गे.)	धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
खरगोन,	सनावद	कोटल्याखेड़ी	4.202	उप-मुख्य इंजीनियर (निर्माण) पश्चिम रत्न इंदौर	"सनावद-खण्डवा के मध्य आमामान परिवर्तन कार्य हेतु"

//2//

-: अनुसूची (2) :-

“सनावद-खण्डवा के मध्य आमान परिवर्तन कार्य ” के अन्तर्गत. ग्राम- कोटल्याखेड़ी की प्रभावित निजी भूमि का विवरण

सर्वे नंबर	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल (हे.में)
1	2
187 / 1, 187 / 2, 189, 195 / 1, 196, 198 / 1, 198 / 2, 200 / 2, 200 / 3, 200 / 4, 200 / 5, 219, 220 / 1, 220 / 2, 224 / 1, 224 / 2, 224 / 7, 224 / 8, 224 / 27, 224 / 28, 224 / 31, 225 / 1, 225 / 2, 227 / 1, 227 / 2, 227 / 3, 230, 231 / 1, 231 / 3, 231 / 4, 232 / 1, 232 / 2, 326 / 2, 326 / 3, 326 / 4, 330 / 1, 330 / 2, 356 / 2, 356 / 4, 357 / 1, 357 / 3, 359 / 1 व 359 / 2	4.202
योग:-43	4.202

नोट:-

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी बडवाह एवं उप-मुख्य इंजीनियर (निर्माण) पश्चिम रेल्वे इंदौर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


(अशोक कुमार वर्मा)

कलेक्टर एवं समुचित सरकार,
म.प्र शासन, राजस्व विभाग
जिला खरगोन (म.प्र.)

कार्यालय, कलेक्टर जिला खरगोन, एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
क्रमांक/108/भू-अर्जन/2017 खरगोन, दिनांक 14/03/2017

:: अधिसूचना ::

उप-मुख्य इंजीनियर (निर्माण) पश्चिम रेल्वे, इंदौर के द्वारा उनके पत्र क्रमांक डब्ल्यू/335/1,2,3, एवं 4/2017, दिनांक 07.02.2017 से "सनावद-खंडवा के मध्य आमामान परिवर्तन कार्य हेतु" अधिग्रहित अथवा उपयोग की जाने वाली निजी भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुर्नवासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक-30 सन् 2013) के अध्याय-2 (अ) की धारा-4 के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान करने संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।

उक्त प्रस्ताव का अध्ययन करने के पश्चात् प्रस्तावित परियोजना पूर्णतः लोकहित से संबंधित होने के कारण म.प्र.शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल के ज्ञाप क्रमांक एफ 16-15-(1)-2014-सात-शा. 2ए, दिनांक 29 सितम्बर, 2014 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं अशोक कुमार वर्मा, कलेक्टर, जिला-खरगोन एवं समुचित सरकार म.प्र. शासन, राजस्व विभाग, विधि एवं विधायी कार्य मंत्रालय, भारत शासन के संशोधित अध्यादेश क्रमांक 9/2014 के बिन्दु 10-ए अनुसार लोकहित को दृष्टिगत रखते हुए प्रस्तावित लोक परियोजना के निम्नांकित क्षेत्र को अधिनियम के अध्याय-2(अ) की धारा-4 में वर्णित सामाजिक समाघात निर्धारण एवं अन्य उपबंधों से छूट प्रदान करता हूँ-

क्रं.	तहसील	ग्राम का नाम	प0ह0नं0	प्रस्तावित अर्जनीय भूमि का रकबा (हे0 में)	सार्वजनिक प्रयोजन
1	2	3	4	5	6
1	सनावद	बांगरदा	55	0.383	"सनावद-खण्डवा के मध्य आमामान परिवर्तन कार्य हेतु"
2		भोमवाडा	56	0.189	
3		कोटल्याखेडी	57	4.202	
		योग :-		4.774	

नोट:-

- 1- उपरोक्त प्रस्तावित भूमि के क्षेत्रफल में कमी अथवा वृद्धि संभावित है।
- 2- उक्त भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, बडवाह एवं उप-मुख्य इंजीनियर (निर्माण) पश्चिम रेल्वे, इंदौर के कार्यालय में अब्रलोकन किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


(अशोक कुमार वर्मा)

कलेक्टर एवं समुचित सरकार,
म.प्र शासन, राजस्व विभाग
जिला खरगोन (म.प्र.)